संख्या-1/2018/1613 /पचास-यु0क0-2018-04(विविध)/2014टीसी

प्रेषक,

डिम्पल वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवम्
युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग: दिनांक- 05 अक्टूबर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-14 के अधीन अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-856/दो-57/प्रा0वि0द0/2017, दिनांक 05 सितम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन/लम्बित याचिकाओं में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने / अन्तरिम आदेश निरस्त कराने एवं प्रार्थना-पत्र दाखिल कराने तथा याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई के साथ-साथ मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय की फीस/एडवोकेट की फीस एवं टंकण तथा जनपद स्तर की याचिकाओं की पैरवी आदि के कार्यों पर व्यय एवं इसके अतिरिक्त 06 मण्डलीय कार्यालयों एवं 04 नवसृजित जनपदों के लिए 09 वाहन चालक एवं 10 चपरासी के सृजित पदों तथा विभाग में सीधी भर्ती के अन्तर्गत रिक्त 18 चतुर्थ श्रेणी के पदों के सापेक्ष कुल 37 कार्मिकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती की गई है, जिनके पारिश्रमिक के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-14 में अनुपूरक

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान के माध्यम से लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं- 800-अन्य व्यय-03-प्रादेशिक विकास दल के मानक मद "16- व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" में प्रावधानित धनराशि रू. 18.81 लाख (अठ्ठारह लाख इक्यासी हजार रूपये मात्र)निम्नलिखित शर्तो/निर्बन्धनो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जाएगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय कुल रू. 18.81 लाख (अठ्ठारह लाख इक्यासी हजार रूपये मात्र) लेखाशीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रादेशिक विकास दल के मानक मद "16- व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव।

-3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1/2018/1613(1) /पचास-यु0क0-2018-04(विविध)/2014टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा),प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- गार्ड बुक/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।